2019/00243

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 139/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्व॰ श्री हरिशंकर जाति महाजन निवासी ग्राम पोंस्ट नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री इकबाल खान आर ए एस अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत नायला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नायला, तहसील जमवारामगढ ।
3. छाजूराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी, नायला, जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 72/2016 ब उनवानी पवन कुमार गुप्ता बनाम विकास अधिकारी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पी॰सी॰ भारती अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31-10-2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 72/2016 ब उनवानी पवन कुमार गुप्ता बनाम विकास अधिकारी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें आज दिनांक तक मिसल मातहत को तलब नहीं किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 के हक में पट्टा जारी होना बताया जा रहा है और ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली का रिकार्ड ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नियत कर रखी है। जबकि पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थी संख्या 3 के कहने पर उक्त प्रकरण में अन्तिम बहस सुनने हेतु आमादा है तथा प्रकरण में छोटी छोटी पेशियां दे कर प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है। बार बार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई बाबत निवेदन करने पर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। दिनांक 18.09.2019 को जब प्रार्थी न्यायालय में तारीख पेशी हेतु गया तो देखा की अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठ कर उक्त पत्रावली का निस्तारण करवाने हेतु योजनाबद्ध है। इसलिए प्रार्थी को अतिरिक्त कलक्टर जयपुर प्रथम से उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में

जिला कलक्टर जयपुर

ट्रान्सफर करवाना आवश्यक समझता है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पी॰सी॰ भारती ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर